न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा,आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर)

अपील संख्या :-106/2016/भीलवाड़ा (2016/00041)

1. मंगलसिंह पुत्र फतेहसिंह,
2. नरपतसिंह पुत्र कालूसिंह,
   समस्त जाति राजपूत, नि0 मोटरास, तहसील बदनोर, जिला भीलवाड़ा ।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आसीन्द, जिला भीलवाड़ा ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बदनोर दिनांक 29.5.2015 अपील संख्या 133/2015.

उपस्थितः-

1. श्री घनश्यामसिंह लखावत, वकील अपीलांट्स ।
2. रेस्पोडेंट्स अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः-22.12.2017

अपीलांट्स ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, बदनोर जिला भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 29.5.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोटरास, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 416 की आराजी खसरा संख्या 1009, 1010, 1011,1014, 1015, 1348, 1349, 1357 किता 8 कुल रकबा 15-09-00 बीघा भूमि वादीगण/अपीलांट्स के वली फतेहसिंह, कालूसिंह पुत्रान गमेरसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी, उक्त भूमि जागीरदार कालीन दाखिला लगा हुआ है जो कि जमाबंदी पर जागीरदार खास खंडम भोग के रूप में अंकित है, तत्पश्चात् राजस्थान

काश्तकारी कानून के अस्तित्व में आने पर जागीरदार प्रथा समाप्त होने से पूर्व ही प्रभावी थे, तत्पश्चात् दौराने सेटलमेंट उक्त आराजियात के नये खसरा नंबर 2537, 2541, 2542, 2559, 2560, 2942, 2943, 2949 कुल किता 8 कुल रकबा 3.44 है0 कायम किये गये । उक्त आराजियात अपीलांट्स के नाम चली आ रही है लेकिन साबिक रिकार्ड के अनुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड में भी जागीरदार खास खंडम भोग अंकित है, जिसे दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के समक्ष प्रस्तुत किया । उपखण्ड अधिकारी, बदनोर ने निर्णय दिनांक 29.5.2015 को अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये । अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत राजकीय अधिवक्ता का पद रिक्त होने से प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 29.5.2015 को कैम्प मोटरास में प्रकरण का निस्तारण अपीलांट्स की अनुपस्थिति में बिना अपीलांट्स एवं अभिभाषकगण को सुने एकतरफा तौर पर कानूनी प्रावधानों के प्रतिकूल निर्णय पारित किया है । अधी0न्याया0 ने जागीरदार खास खंडम भोग का अंकन भू-प्रबंध से पूर्व का होना मानकर वर्तमान अभिलेख में दुरूस्ति किये जाने की प्रार्थना अस्वीकार की है जबकि राजस्थान भू-राजस्व अधि0 की धारा 136 के प्रावधानानुसार भू-अभिलेख अधिकारी इंद्राज दुरूस्ती करते समय भू-प्रबधं की त्रुटि की ही इंद्राज दुरूस्ती की जा सकने बाबत् नहीं होकर अपितु समग्र रूप से किसी भी समय भूअभिलेख अधिकारी को यह जानकारी हो या उनके समक्ष ऐसा तथ्य उसके संज्ञान में लाया जावे तो वह त्रुटि को कभी भी दुरूस्त कर सकते है। विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि वर्तमान जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में जागीरदार खास खंडम भोग खातेदारी की प्रविष्टि के नीचे अंकित है जबकि राजस्थान काश्त0अधि0 के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी की प्रविष्टि के नीचे जागीरदार खास खंडम भोग बाबत् प्रविष्टि किसी विधिक प्रावधान से समर्थित नहीं है अपितु इसका सीधा तात्पर्य मेवाड़ राज्य में तत्सयम प्रचलित जागीर प्रथा के तहत किया गया अंकन था तथा जागीर उन्मूलन होने के उपरांत जागीरदार बाबत् प्रविष्टि विलोपित की जानी थी, परन्तु अभिलेखों में त्रुटिपूर्ण अंकन के रहते अपीलंट्स को भूमि के संबंध में कई प्रकार की परिशानी होती है तथा अभिलेखों के त्रुटिपूर्ण अंकन से अपीलांट्स की वैध खातेदारी की भूमि बाबत् अभिलेख संदिग्ध ही बना रहा है जबकि ऐसी प्रविष्टि राजस्व कर्मियों की त्रुटि का परिणाम है जिसे उपखण्ड अधिकारी को दुरूस्त करना था । विद्वान वकील अपीलांट्स ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना तथा अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का

अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त किया जावे । xx

4- विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करते समय प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण को आश्वस्त किया था कि वे प्रकरण की पैरवी करते रहेगें तथा प्रकरण में व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं है तथा आवश्यकता होने पर सूचित कर देगें । दिनांक 20.7.2016 को अपने अभिभाषक से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी आसीन्द से उपखण्ड अधिकारी, बदनोर को मुन्तकिल कर दिया गया है तथा इस संबधं में उपखण्ड टधिकारी, बदनोर के न्यायालय में ही जानकारी हो सकती है तथा बदनोर जाकर जानकारी कर प्रार्थीगण को सूचित कर देंगे, तत्पश्चात् 15-20 दिन बाद अभिभाषक से संपर्क करने पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निर्णय की प्रतियां उपलब्ध कराते हुए बताया कि प्रकरण अपीलांट्स एवं अधिवक्ता की अनुपस्थिति में निर्णित कर खारिज कर दिया गया है तब अपीलांट्स ने अजमेर आकर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

5- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट्स की एक पक्षीय बहस पर मनन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । मियाद के बिन्दु से किसी भी प्रकरण का गुणावगुण पर अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है इसलिये हम न्यायहित में अपीलांट्स को सुना जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

6- हमनें पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया । ग्राम मोटरास, तहसील आसीन्द, जिला भीलवाड़ा की सरहद में खाता संख्या 416 की आराजी संख्या 1009, 1010, 1011,1014, 1015, 1348, 1349, 1357 किता 8 कुल रकबा 15-09-00 बीघा भूमि के संबंध में अपीलांट्स ने अपनी अपील में उल्लेख किया है कि विवादित भूमियां प्रार्थीगण/अपीलांट्स के वली फतेहसिंह, कालूसिंह पुत्रान गमेरसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है ।

7- प्रस्तुत अपील में उपलब्ध वर्तमान जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में दर्ज प्रविष्टयों के अनुसार जागीरदार खास खण्डम भोग खातेदारी की प्रविष्टि के नीचे अंकित है तथा उक्त प्रविष्टि को त्रुटिपूर्ण अंकन बताया जाकर अपीलांट्स की वैध खातेदारी भूमियों बाबत् अभिलेख में संदिग्ध प्रविष्टि बनी रहने से अपीलांट्स को अनावश्यक कठिनाईयां उठानी पड़ रही है जबकि इस तरह की प्रविष्टि किसी विधिक प्रावधान से समर्थित नहीं होकर मेवाड़ राज्य

में तत्समय प्रचलित जागीर प्रथा के तहत अंकन किया गया था तथा जागीर उन्मूलन होने के उपरांत ऐसी सभी प्रविष्टियों को विलोपित किया जाना चाहिये था परन्तु राजस्व कार्मिको की त्रुटि से उक्त आशय की प्रविष्टि अभी भी विद्यमान है । अतः अपीलांट्स के खाते की भूमि में अंकित जागीरादार खास खण्डम भोग संबंधित प्रविष्टि को विलोपित करने की प्रार्थना की ।

8- अपीलांट्स के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 540 का अवलोकन व अध्ययन किया गया । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार मेवाड़ गवर्नमेन्ट में खड़मदार से संबंधित निम्नांकित नियम वर्णित है जो इस प्रकार हैः–

''मेवाड़ गवर्नमेन्ट''

कालून माल मेवाड़ एक्ट नं0 5 संवत् 2003 सन् 1947 ईस्वी

प्रकरण संख्या 5

हक काश्तकारी

31 काश्तकार — काश्तकार से मुराद उस व्यक्ति से है जो कि सरकार से या किसी ठिकाने जागीदार माफीदार या भोमिया से जमीन काश्त के लिये रखता है और जिस पर इस कानून या इसके नीचे बने नियमों से उस जमीन के माल हासिल अदायगी की जिम्मेदारी हो ।

37 काश्तकार व उनकी श्रेणी — 1–काश्तकार नीचे लिखे प्रकार के होंगे ।
1– खड़मदार या बापीदार
2– खातेदार
3– मुस्तकल शिकमी
4– शिकमी

38 खड़मदार काश्तकार व उसके हक — 1– खड़मदार या बापीदार काश्तकार उसे कहते है जिसका नाम गांव के खसरे या जमाबंदी में या जमीन के पट्टे में उसकी जमीन के मुतअल्लिक खड़मदार या माफीदार की हैसियत से दरज किया गया हो ।

2– खड़मदार को अपने खड़म की जमीन में नीचे लिखे हक होंगेः–

1– ऐसी जमीन खड़मदार के जाति कानून या रिवाज के अनुसार उसके वारिसों को विरासत में मिल सकेगी ।

2– ऐसी जमीन को बेचने, बख्शीश देने, रहन रखने, वसीयत देने बगैरह के पूरे हक खड़मदार को होंगे।

3– जहां तक जमीन का लगान बराबर अदा करता रहे, खड़मदार काश्तकार को बेदखल नहीं किया जा सकेगा।

9- प्रकरण में उपरोक्त क्रम में हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल की डी0बी0 में पारित निर्णय दिनांक 26.7.2013 का भी अवलोकन किया गया । इस

न्यायिक दृष्टांत में राजस्व अभिलेख में उल्लेखित प्रविष्टि खड़मदार के संबंध में मेवाड़ गवर्नमेन्ट के नोटिफिकेशन 1946, कानून माल मेवाड़ 1947, राज0 लैण्ड रिफार्मस एण्ड रिजम्पशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में वर्णित प्रावधानों के क्रम में निम्नानुसार सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैः– " By bare reading of the provisions of Notification of Mewar Government 1946 and Kanoon Maal Mewar, 1947 we are of the opinion that Khadamadars have heritable & full transferable rights of Khadam issued in their name by a competent Land Revenue Officer of Mewar Government after depositing Nazarana of ordinary lands belongings to individuals. but Khadamdar has no right of inheritance & transfer of land belonging to the deity or Mandir Murti who is a perpetual minor and disabled in above enactments, both the Notification and Act of Mewar Government have protected the rights of deity or Mandir Murti and it was provided in the Notification and the Act as well that the muafi land will remain in the name of Devsthan till the existence of Devsthan…." प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत से यह स्पष्ट है कि उक्त विधिक प्रावधानानुसार जहां खड़म निजी रूप से जारी की गई है वहां खड़मदार को विरासती व भूमि के विक्रय आदि के हक होंगे तथा देवस्थानी माफी/मंदिर नाबालिग की खड़म के मामलें में खड़मदार को उक्तानुसार कोई अधिकार व हक नहीं है ।

10- प्रकरण में उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं माननीय राजस्व मण्डल की डी0बी0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.7.2013 में उल्लेखित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि जमाबंदी संवत् 2068 से 2071 में खातेदारी प्रविष्टि के नीचे जागीरदार खास खंडम भोग अंकित है तथा अपीलांट्स ने उक्त इंद्राज को विलोपित किये जाने का अनुतोष चाहा है । अपीलांट्स द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में यह विचारणीय बिन्दु है कि क्या विवादित भूमि मंदिर मूर्ति की थी अथवा नहीं, तथा क्या खडमदार के आगे माफी भूमि का अंकन मंदिर/देवस्थानी माफी खड़म से संबंधित था अथवा निजी भूमि से संबंधित है, तथा क्या जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम/काश्तकारी अधि0 में ऐसी प्रविष्टियों को हटाये जाने के प्रावधान थे । प्रकरण में उपलब्ध आधार अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्नगत भूमि देवस्थानी माफी खड़म से संबंधित थी अथवा निजी भूमि से संबंधित खड़म थी । अतः अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष के क्रम में यहां यह जांच का विषय है कि राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व अर्थात् संवत् 2012 के समय राजस्व अभिलेख में प्रश्नगत भूमि देवस्थानी/माफी मंदिर की खड़म थी अथवा निजी भूमि से संबंधित । उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि यदि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति की नहीं है तो खड़मदार को विवादित भूमि को बेचने, बख्शीश देने, रहन रखने, वसीयत इत्यादि के अधिकार है ।

11- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट्स आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 29.5.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 106/2016 (2016/00041) बउनवानी मंगलसिंह बनाम राज0 सरकार को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा अधी0न्याया0 का प्रकरण संख्या 133/2015 बउनवान मंगलसिंह बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29.5.2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रश्नगत भूमि से संबंधित संवत् 2012 के राजस्व अभिलेख इत्यादि से विवादित भूमि निजी खड़म प्रमाणित होने की स्थिति में राज0काश्त0अधि0 1955 एवं जागीर उन्मूलन अधि0 के विधिक प्रावधानों के तहत अपीलांट द्वारा चाहा गया वांछित अनुतोष प्रदान करने की नियमानुसार कार्यवाही करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 22.12.2017 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर